



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 18671 वर्ष 2025

रमेश चन्द्र (सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल)

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अखिल कुमार श्रीवास्तव, मदन मोहन लाल

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने का निवेदन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित राहते प्रार्थित की गई हैं:-

"(i) प्रत्यर्थी प्राधिकारीगण, विशेषतः प्रत्यर्थी संख्या 4 को निर्देशित करते हुए परमादेश के स्वरूप में रिट, आदेश या निर्देश निर्गत किया जाए कि वे कटौती/वसूल की गई धनराशि रुपये 3,31,095/- को उसके परिणामी लाभों सहित तथा विधि के अनुसार ब्याज सहित, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को वापस करें।

(ii) इस प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, इस माननीय न्यायालय द्वारा उपयुक्त एवं न्यायोचित समझे जाने वाले अन्य एवं अतिरिक्त रिट, आदेश या निर्देश निर्गत किए जाएं;

(iii) याचिकाकर्ता के पक्ष में व्यय सहित रिट याचिका स्वीकार की जाए।"

2. रिट याचिका को वापस लिया गया मानते हुए निरस्त किया जाता है।

दिनांक 16 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय. का मूल संस्करण ही मान्य होगा।